

कार्यालय सयुंक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, पाली मण्डल पाली

--:: कार्यालय आदेश ::--

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/ एफ-1/12102/सी.भ./व0अ0/2016/सा.विज्ञान दिनांक 05.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 से चयनित आशार्थियों (सामाजिक विज्ञान) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द करने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल-11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 26500/- (अक्षरे छब्बीस हजार पांच सौ रूपयें) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(9) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा तथा फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्तों यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.02 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र (प्रारूप सलंगन) प्राप्त किया जावे।
5. राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जावे। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
6. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
8. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
9. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकरिमिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9) एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

11. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में सलग्न दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों से जांच की जानी आवश्यक है।
12. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञापित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अधधीन रहेंगे।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे। (प्रारूप सलग्न)
15. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओं. को निर्देशित किया जाता है कि यदि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे।
16. सलग्न अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अधधीन दी जा रही है। उक्त नियुक्तियों पूर्णतया अस्थाई (Temporary) आधार पर रहेगी तथा नियुक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित पद पर स्थाईकरण (Confirmation) का अधिकारी नहीं होगा।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 12.10.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/ सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा, पाली मण्डल पाली

क्रमांक: शिउनि/माध्य/पाली/संस्था-1/आरपीएससी-16/वअ/सा.वि./18/846 दिनांक :- 06.10.2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
6. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. आयुक्त, रा.मा.शि.अ. राजस्थान सरकार जयपुर।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा पाली/जालोर/सिरोही को मूल आवेदन पत्र सहित।
10. सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ उमावि/मावि.....
12. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)।
13. रक्षक पंजिका।

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, पाली मण्डल पाली

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, पाली मण्डल पाली

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 (विषय--सामाजिक विज्ञान) में चयनोपरान्त पदस्थापन आदेश

क्रमांक: शिउनि/माध्य/पाली/संस्था-1/आरपीएससी-16/ब0अ0/सा.विज्ञान/2018/846

दिनांक :- 06.10.2018

क्र.सं.	मेरिट संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पता	वर्ग	चयन वर्ग	वि.वर्ग	मोबाईल नम्बर
1	935	RAMRUP GOCHER	RAMPRATAP	07-07-90	VILL-PADRA, POST RADI, RADI KESHORAIPATAN PADRA, BUNDI	SB	SBCM		GUPS MERE KI DHANI SAYLA DIST JALORE
2	961	SANWARA GURJAR	RAMSOBHAG GURJAR	01-03-90	VILL- KANWARPURA, BALARIYA, CHAOUTH KA BARWARA, SAWAI MADHOPUR	SB	SBCM		GUPS SIPAHIYON KI DHANI CHITALWANA DIST JALORE

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली मण्डल पाली

कार्यालय सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, पाली मण्डल पाली

—:: कार्यालय आदेश ::—

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व0अ0/2016/सा.विज्ञान दिनांक 05.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 से चयनित आशार्थियों (सामाजिक विज्ञान) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द करने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल-11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 26500/- (अक्षरे छब्बीस हजार पांच सौ रुपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(9) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा तथा फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.02 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र (प्रारूप सलंगन) प्राप्त किया जावे।
5. राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जावे। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
6. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।



7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रावेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
8. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
9. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9) एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
11. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में सलग्न दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों से जांच की जानी आवश्यक है।
12. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञापित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायलय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अधधीन रहेंगे।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे। (प्रारूप सलग्न)
15. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओं. को निर्देशित किया जाता है कि यदि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 12.10.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/ सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा, पाली मण्डल पाली

क्रमांक: शिउनि/माध्य/पाली/संस्था-1/आरपीएससी-16/वअ/सा.वि./18/842 दिनांक :- 06.10.2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
6. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. आयुक्त, रा.मा.शि.अ. राजस्थान सरकार जयपुर।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा पाली/जालोर/सिरोही को मूल आवेदन पत्र सहित।
10. सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ उमावि/मावि.....
12. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)।
13. रक्षक पंजिका।

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा, पाली मण्डल पाली

क्र.स.	मेरिट संख्या	अर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पता	वर्ग	चयन वर्ग	वित्त	मोबाईल नम्बर
1	876	SAMTA SHARMA	RAMSWAROOP SHARMA	15-05-84	B-15,JDACOLONY,NARADPUR ASCHEME,VLAAMER,TEH-JAMWARAMGARH, NATATA, JAMWAI RAMGARH, JAMWAI RAMGARH JAIPUR	GE,WE	GENF		G.U.P.S., BASNI DADHWADIYAN(08200200701) / RAIPUR pali
2	1015	AMITA KUMARI	BAHADUR SINGH	11-01-83	AMITAWOSH.RAJVEERSIN GH, LOYAL, CHIRAWA, CHIRASAN, JHUNJHUNU	BC,WE	OBCF		G.U.P.S., SAMDADIYA(08200307407) / SOJAT pali
3	1036	TEEJA KUMAWAT	RAGHUNATH PRASAD	10-07-89	BHARTIBHAWAN, MINDHA, NAWA, MINDHA, NAGOUR	BC,WE	OBCF		G.U.P.S. PANCHALWARA(08200902701) / BALI pali
4	1064	PRAMILA KUMARI	MOHAN SINGH	18-06-89	VPO- KULHARIYONKIDHANI, KULHARIYON KI DHANI, MALSISAR, BISSAU, JHUNJHUNU	BC,WE	OBCF		G.U.P.S. NAYA SENA BHATUNDI(08200905805) / BALI pali
5	1540	HEMA MEENA	GIRRAJ PRASAD MEENA	07-07-94	VILL-BAHADURPURPOST- BHOPURTHE- TODABHIMDIST- KARULIRAJASTHAN32223 0, BHOPUR, TODABHIM, BAHADURPUR KARALI	ST,WE	STF		GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL, DEVO KA VERA(08190406802) / SHEOGANJ Sirohi
6	1575	GANGA MEENA	ARJUN RAM	06-02-91	MEENAMOHALLA, MAROTH, NAWA, MAROTH, NAGOUR	ST,WE	STF		G.U.P.S., REBARIYO KA GOLUA, TOKARA(08190506703) / REODAR Sirohi
7	1611	REKHA VERMA	HANUMAN SAHAI VERMA	10-04-76	17-SHAKTINAGAR GOPALPURABYPASS, , , JAIPUR	SC,WE	SCF		G.U.P.S. VAGUNDA(08180107001) / AAHOR Jalore
8	1617	MAMTA VERMA	KANHAIYA LAL VERMA	08-09-92	MOHALLADHAYPOST- BEELWARI, BEELWARI, VIRATNAGAR, VIRATNAGAR JAIPUR	SC,WE	SCF		GOVT GIRLS UPS RANGALA(08180401808) / BHINMAL Jalore
9	1623	SHIPRA BAGDI	CHIRANJI LAL BAGDI	25-02-88	84/362CHETAKMARG,PRAT APNAGAR, PRATAP NAGAR, SANGANER, SANGANER, JAIPUR	SC,WE	SCF		G.U.P.S., HADMATIYA_R(08190511301) / REODAR Sirohi
10	373	KAILASH SIHAG	MLARAM SIHAG	15-08-92	vpo.IndpalsarsankhalanTh.sridu ngargarhdist.bikaner, dungargarh, SRJUNGARGARH, DUNGARGARH, BIKANER	BC	GENM		G.U.P.S.DHUKA RAM KA BERA(08180307202) / SAYLA Jalore
11	674	KULDEEP AGARWAL	RAJENDRA PRASAD AGARWAL	14-01-88	WARDNO11,DELHIDARWAJ A, SHAHPURA, SHAHPURA, SHAHPURA, JAIPUR	GE	GENM		GOVT UPS JOGAU(08180406901) / BHINMAL Jalore
12	701	PRAMOD KUMAR	BRIJ LAL	10-11-87	VPOMORJANDKHARI TEH.SADULSHAHAR , , SADULSHAHAR, MORJAND KHARI, SRI GANGANAGAR	BC	GENM		G.U. P.S.BAGLI(08180805401) / CHITALWANA Jalore
13	847	DEEPAK KUMAR VERMA	CHOTH MAL	01-01-85	KHUMHARONKAMOHLLA, BAGHAWAS, KISHANGARH RENWAL, BAGHAWAS, JAIPUR	BC	OBCM		GOVT UPS GAVRI KI DHANI(08180408002) / BHINMAL Jalore
14	1755	ANIL KUMAR CHOUDHARY	RAM KISHAN CHOUDHARY	19-07-78	VPO-NATWARATH-NEWAI, NATWARA, NIWAI, NIWAI, TONK	BC,EX	OBCM	EX	G.U.P.S. BHADARUNA DHANI(08180520302) / SANCHORE Jalore

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली मण्डल पाली